for the import of dry fruits against the export of tea; and

(c) if so, the action taken by Government thereon?

THE DEPUTY-MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) The Kangra Tea Marketing Cooperative Society is mainly a cooperative society formed by producers of tea in Kangra, though merchants and traders in tea are also eligible to become members without voting rights. The Society as such does not export tea.

(b) Yes, Sir.

(c) Licences for import of Afghan fruits fresh and dry, are already being issued to approved importers against export of permissible items, including tea. Under the current policy, exporters of non-traditional items to Afghaisntan are also eligible to import Afghan fruits. There has been a considerable rise in India's overall export of tea to Afghanistan during 1966-67 and 1967-68, and the Government do not see any reason to modify the present policy.

Memorandum from Class I Railway Officers Re. Conditions of Service.

9980. SHRI S. P. RAMAMOORTHY : SHRI H. AJMAL KHAN : SHRI D. N. DEB :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Class I Officers of the Railways have submitted a memorandum to the Railway authorities drawing their attention to the growing disparity in the conditions of service between officers of the railway organisation and those working in other sectors of Government services; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) (a) Yes.

(b) The representation is under consideration.

रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंस प्राप्त कुली तथा विक्रेता

9981. श्री ज० सि० सहगल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे स्टेशनों पर काम कर रहे लाइसेंस प्राप्त कुलियों तथा विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए कोई कानूनी संरक्षण की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT—1219/68]

टोंक, राजस्थान में चमड़ा कारखाना

9982. श्री जमुना लाल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार टोंक, राजस्थान में चमड़े का एक कारखाना लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) इस कारखाने के अब तक स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इसे सरकारी क्षेत्र में लगाया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, और

(ङ) उस पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी पूंजी लगाये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) राजस्थान सरकार का टोंक राजस्थान में चमड़ा कमाने का एक कारखाना लगाने का विचार हैं।

(ख) और (ग) : अभी इस परियोजना की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि यूगोस्लाविया के सहयोगियों ने परियोजना के लिए जिन मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी उनका ब्योरा अभी तक नहीं भेजा है।

(घ) यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है।